म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, जेल रोड, किसान-भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/ऋण/5-12/ 238 भोपाल, दिनांक 12/02/2019

प्रति,

सचिव, (समस्त)
कृषि उपज मण्डी समिति,
.... जिला .... (म.प्र.)

विषय:- आर्थिक रूप से कमजोर मण्डी समितियों में कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया वेतन/भत्तो एवं पेंशन के भुगतान के लिये बोर्ड से अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ :- बोर्ड मुख्यालय का पत्र कं./3/2/ऋण/अनुदान/पेंशन/158 दिनांक 20.3.2003 एवं पत्र क्र./बोर्ड/ऋण/75/पार्ट/18-19 दि. 25.5.2012

--00--

उल्लेखित विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर मण्डी समितियों में कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया वेतन/भत्तो एवं पेंशन के भुगतान के लिये बोर्ड से अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में जारी दिशा निर्देश को अतिक्रमित करते हुये निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।

कृषि उपज मण्डी समितियॉ अपनी आय के आधार पर संचालित होती है। वर्तमान में आय बढाने के लिये मण्डी समितियों में अत्याधिक प्रयास नही किये जाकर अनुदान पर आश्रित होती जा रही है। मण्डी समितियों से प्राप्त प्रस्तावों का संभागीय अधिकारियों द्वारा भी गहन परीक्षण नही करके अनुदान स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव मण्डी बोर्ड को प्रेषित किये जाते है। संभागीय अधिकारी संभाग की मण्डी समितियों का नियंत्रणकर्ता अधिकारी है।आय-आवक में कमी होने पर मण्डी समिति के साथ-साथ संभागीय अधिकारी का भी उत्तरदायित्व होता है।

अत: प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर मण्डी समितियों में कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया वेतन/भत्तो एवं पेंशन के भुगतान के लिये बोर्ड से अनुदान स्वीकृत करने के प्रस्ताव का गहन एवं वास्तविक आकडों के आधार पर आंचलिक अधिकारी परीक्षण करे। यदि मण्डी समिति को वेतन/भत्तो के लिये अनुदान स्वीकृत करना आवश्यक हो तो, आंचलिक अधिकारी अपने स्पष्ट प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित जानकारी भेजना सुनिश्चित करे :-

0.1 कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया वेतन/भत्तो एवं पेंशन के मामले में मण्डी समिति माहवार देय राशियों का आंकलन करेगी एवं प्रस्ताव मण्डी समिति के संचालक मण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।

02. मण्डी समिति के संचालक मण्डल से ठहराव पारित होने के उपरांत ठहराव की छायाप्रति संयुक्त/उप संचालक आंचलिक कार्यालयों के अनुशंसा सहित प्रकरण बोर्ड मुख्यालय को भेजा जावेगा।

03. प्रस्ताव के साथ मण्डी समिति की विगत 03 वर्ष की वित्तीय स्थिति, मण्डी में आवक, माहवार स्थापना व्यय आदि की जानकारी प्रस्तुत करेगी।

04. संयुक्त/उप संचालक आंचलिक कार्यालय द्वारा यह भी परीक्षण किया जावेगा कि वास्तव में कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया वेतन, भत्तों एवं पेंशन भुगतान के लिये मण्डी के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध नही है अथवा आगामी माह में उपलब्ध नही होगी। तदाशय की टीप एवं अनुशंसा सहित प्रस्ताव बोर्ड को भेजा जावेगा।

05. मण्डी समिति के ठहराव की प्रति संयुक्त/उप संचालक आंचलिक कार्यालय के अभिमत के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु प्रकरण परिशिष्ठ-ए एवं कार्यरत कर्मचारियों हेतु परिशिष्ठ-बी पर संलग्न प्रारूप में मुख्यालय को भेजा जावेगा।

06. बोर्ड को भेजे जाने वाली वैधानिक निधियों का गत 03 वर्षो का विवरण पत्रक।

07. मण्डी समिति स्तर पर जमा योग्य निधियों का विवरण पत्रक।

08. विगत 05 वर्षो के आय-व्यय पत्रक एक्जाई (31 मार्च की स्थिति में) **संलग्न प्रारूप** में।

09. मण्डी समिति की पिछले 03 वर्षो की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में कृषि उपज का उत्पादन (किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की जानकारी के अनुसार) के परिप्रेक्ष्य में मण्डी में उपजवार आवक, आय स्पष्ट प्राप्त की जाए। कृषि उपज की जानकारी कृषि विभाग के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त जानकारी प्राप्त की जाए।

10. किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से प्राप्त जानकारी एवं मण्डी बोर्ड की आवक में तुलनात्मक अंतर होने की स्थिति में स्पष्ट किया जाए कि यह अन्तर क्यों उत्पन्न हुआ है ?

11. मण्डी समिति में अद्यतन स्थिति में उपलब्ध निधियों की जानकारी।

12. विगत 03 वर्षो में मण्डी की आय बढ़ाने के संदर्भ में मण्डी के अधिकारी/कर्मचारियों के दल ने गोदामों में कितनी जांच की ? जांच रिपोर्ट सहित जानकारी भेंजे।

13. विगत 03 वर्षो में मण्डी समिति के दल ने कितनी चेकिंग की? चेकिंग में बिना/फर्जी अनुज्ञा पत्र के कितने वाहन पकड़े गए और उनसे कितनी राशि वसूल की गई। अवगत कराएं?

14. मण्डी की आय आवक को दृष्टिगत रखते हुए मण्डी समिति की स्थापना में वास्तव में कितने स्टाफ की आवश्यकता है ? परीक्षण करें। यदि कार्य को दृष्टिगत रखते हुए अधिक स्टाफ कार्यरत हैं तो स्पष्ट रूप से उनका स्थानान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

15. भविष्य में मण्डी की आय बढाने के लिये क्या-क्या उपाय किये गये है के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करे।

16. बैंक रिकंसिलेशन सर्टिफिकेट की प्रति।

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
KR. भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/ऋण/5-12/ 239 भोपाल, दिनांक 12/02/2019

प्रतिलिपि:-

संयुक्त/उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय,............ की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि मण्डी समितियों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करते समय उपरोक्त बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। उल्लेखनीय है कि जिस संभाग की मण्डी समिति से वेतन भत्तों एवं लंबित पेंशन के लिए अनुदान स्वीकृत करने का प्रस्ताव प्राप्त होता है उस संभाग के संभागीय अधिकारी का भी सचिव के साथ बराबर का उत्तरदायित्व रहेगा। प्रस्ताव पूर्ण परीक्षण उपरांत स्पष्ट मत सहित मण्डी बोर्ड कार्यालय को प्राप्त हो।

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
KR. भोपाल

परिशिष्ट''ए''

मण्डी समितियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान के लिये अनुदान स्वीकृत कराने हेतु पत्रक

(1) सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम एवं पद ....

(2) मण्डी समिति का नाम ....

(3) वेतनमान ....

(4) सेवानिवृत्ति के बाद लबित स्वत्वों का विवरण :–

(क) सेवाकाल के वेतन भत्तों के एरियर की राशि ....

(ख) ग्रेच्युटी की राशि ....

(ग) कम्प्यूटेशन की राशि ....

(घ) आवेदन पत्र भरने की तिथि को पेंशन / परिवार पेंशन एरियर की अवशेष राशि..

(च) अवकाश नगदीकरण की राशि ....

(छ) एफ0डी0एफ0 / जीआईएस की राशि ....

कुल राशि का योग रूपये ....

(5) सेवाकाल की वसूली योग्य राशियों का विवरण –

(1) ....

(2) ....

(3) ....

(6) सेवानिवृत्त कर्मचारी का पेंशन भुगतान आदेश

(1) कमांक / दिनांक / राशि ....

(2) ग्रेच्युटी आदेश / कमांक / दिनांक / राशि ....

(3)पेंशन कम्प्यूटेशन आदेश / कमांक / दिनांक / राशि

(7) (क) प्रत्याशित पेंशन की भुगतान की गई राशि ....

(ख) प्रत्याशित ग्रेच्युटी की भुगतान की गई राशि ....

(8) प्रस्तावित अनुदान राशि ....

(9) मण्डी समिति के संचालक मण्डल का ठहराव कमांक एवं दिनांक

(10) प्रमाणीकरण

::सचिव मण्डी का प्रमाण्प पत्र::

प्रमाणित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति..................... के सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री .... पदनाम .... के संबंध में दिये गये उपरोक्त विवरण सही है तथा कृषि उपज मण्डी के स्रोतों से प्रस्तावित राशि भुगतान संभव नहीं है।

सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति,

......जिला ....

संयुक्त संचालक/उपसंचालक की अनुशंसा

उपरोक्त विवरण के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति .... के सेवानिवृत्त कर्मचारी ....पदनाम ....के स्वत्वों के भुगतान के लिये राशि रूपये .... के अनुदान स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

संयुक्त संचालक/उपसंचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय ....

परिशिष्ट"बी"

मण्डी समितियों के कार्यरत कर्मचारियों के बकाया वेतन भत्तों के लिये अनुदान स्वीकृत करने हेतु पत्रक

(1) कर्मचारी का नाम एवं पद ....

(2) मण्डी समिति का नाम ....

(3) वेतनमान ....

(4) मण्डी समिति में पदस्थापना अवधि ....

(5) बकाया राशि का विवरण :–

(क) बकाया राशि की अवधि ....

(ख) वेतन एरियर की राशि ....

(ग) महंगाई भत्ता ....

(घ) नगर क्षतिपूर्ति भत्ता ....

(च) आवास भत्ता ....

(छ) प्रतिनियुक्ति भत्ता ....

(ज) चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि/भत्ता ....

(झ) अन्य भत्ता ....

कुल राशि का योग रूपये ....

(6) वसूली योग्य राशि का विवरण –

(1) ....

(2) ....

(3) ....

(7) प्रस्तावित अनुदान राशि ....

(8) मण्डी समिति के संचालक मण्डल का ठहराव कमांक एवं दिनांक ....

(9) प्रमाणीकरण

::सचिव मण्डी का प्रमाण पत्र::

प्रमाणित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति .... के कर्मचारी श्री .... पदनाम.............................. के संबंध में दिये गये उपरोक्त विवरण सही है तथा कृषि उपज मण्डी समिति के स्रोतों से प्रस्तावित राशि भुगतान संभव नहीं है।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति,
.............जिला ....

संयुक्त संचालक/उपसंचालक क अनुशंसा

उपरोक्त विवरण के आधार पर कृषि उपज मडी समिति .... के कर्मचारी .... पदनाम .... के बकाया वेतन, भत्तों के भुगतान के लिये राशि रूपये .... के अनुदान स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

संयुक्त संचालक/उप संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय ....

प्रपत्र–1

कृषि उपज मण्डी समिति .... की विगत 05 वर्षो की वर्षवार आय–व्यय की जानकारी

क्रमांक	वर्ष	आय				निर्धारित वैधानिक निधिया					आय मे से वैधानिक निधिया कम कर मण्डी व्यय हेतु निर्धारित राशि (6–11)	वास्तव में वैधानिक निधियों के विरूद्ध प्रेषित राशि					शेष निर्धारित वैधानिक निधिया जो जमा करना है					वास्तविक मण्डी अन्य व्यय				अतिशेष मण्डी व्यय
		मण्डी शुल्क`	लायसेंस फीस	अन्य आय	कुल योग	बोर्ड शुल्क	1 प्रतिशत विपणन विकास निधि	आरक्षित निधि (मण्डी/बोर्ड में)	स्थाई निधि	योग		बोर्ड शुल्क	1 प्रतिशत विपणन विकास निधि	आरक्षित निधि (मण्डी/बोर्ड में)	स्थाई निधि	योग	बोर्ड शुल्क	1 प्रतिशत विपणन विकास निधि	आरक्षित निधि (मण्डी/बोर्ड में)	स्थाई निधि	योग	वेतन भत्तो	अन्य व्यय	ऋण वापसी	**योग**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति

.... जिला ....

प्रपत्र–2

मण्डी स्तर पर जमा होने वाली आरक्षित निधि की विगत 05 वर्षो की वर्षवार जानकारी

क्रं0	वर्ष	मण्डी की फीस अनुज्ञप्ति से आय	जमा की जाने वाली आरक्षित निधि (8 % का 2/3 भाग)	वास्तव में जमा की गई राशि	आरक्षित निधि में जमा हेतु शेष राशि
1	2	3	4	5	6

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
.... जिला ....

प्रपत्र–3

विगत 05 वर्षो में आरक्षित निधि से व्यय राशि की जानकारी

क्रं0	वर्ष	पूर्व वर्षो में जमा आरक्षित निधि	वर्ष में जमा आरक्षित निधि	योग (3+4)	आरक्षित निधि से व्यय	शेष बची हुई आरक्षित निधि (5-6)
1	2	3	4	5	6	

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
.... जिला ....